भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3087

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बेंगलुरु मेट्रो रेल हेतु निधि

†3087. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) को नम्मा मेट्रो के लिए चरण-2, चरण-2ए/2बी और चरण-3 के अंतर्गत इक्विटी और अधीनस्थ ऋण घटकों सहित उपलब्ध कराई गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्लू लाइन के 58.19 किमी और 29-स्टेशन वाले गलियारे के सिल्क बोर्ड-केआर पुरम और हेब्बाल-केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन खंडों सहित इन चरणों को पूरा करने के लिए वर्तमान में निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) इन चरणों, सिविल निर्माण की प्रगति, रोलिंग स्टॉक की डिलीवरी और डिपो कनेक्टिविटी, विशेषकर ब्लू लाइन पर ट्रायल रन और यात्री सेवाओं के आरंभ होने के संबंध में, के समय पर पूरा होने में बाधक बनने वाली समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना के पूरा होने में तेजी लाने, केंद्रीय निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और विमानपत्तन की कनेक्टिविटी के लिए ब्लू लाइन के महत्व को देखते हुए, इसको प्राथमिकता देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के समन्वय में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) केन्द्र सरकार ने दिनांक 30.07.2026 तक बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के चरण-2, चरण-2ए/2बी तथा चरण-3 के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (बीएमआरसीएल) को इक्विटी एवं अधीनस्थ ऋण घटकों सहित कुल 26,447.27 करोड़ रु. जारी किए हैं।

(ख) और (ग) मेट्रो परियोजनाएं सामान्यतः स्वीकृति की तारीख से पांच से छह वर्षों में पूरी हो जाती हैं। हालाँकि, परियोजनाओं का वास्तविक रूप से पूरा होना भूमि के समय पर अधिग्रहण, वृक्षों की कटाई की अनुमति और अदालती मामलों आदि पर निर्भर करता है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन से हेब्बल जंक्शन होते हुए केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 58.19 कि.मी. लंबी बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना-चरण 2ए एवं 2बी (ओआरआर-एयरपोर्ट मेट्रो) में दिनांक 30.06.2026 तक 72.50 प्रतिशत भौतिक प्रगति तथा 70.17 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुई है।

(घ) संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति मेट्रो परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए आवश्यक मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु मेट्रो परियोजना की नियमित रूप से समीक्षा करती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि अधिकांश मेट्रो रेल परियोजनाएं संयुक्त उद्यम विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जो ऐसी कंपनियां हैं जिनके निदेशक मंडल में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, दोनों का समान प्रतिनिधित्व होता है। इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी इस प्रयोजन के लिए गठित एसपीवी के बोर्ड द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति), प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) के तहत मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।
